न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-22/2009

बंशी पुत्र सुखाराम जाति मीणा निवासी ढाणी पलास तन ग्राम नीमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर(राज0)

--आवेदक/रेस्पोडेन्ट--

--बनाम---

1- रणजीतमल पुत्र चैनाराम
2- सुरज्ञान पुत्र चैनाराम
3- सोहनलाल पुत्र कृष्णा
4- शान्ति पत्नी कृष्णा
5- सुवा स्त्री चैनाराम
6- सांवरा पुत्र चैनाराम
7- लालचन्द पुत्र चैनाराम

जाति मीणा निवासी ढाणी पलास तन निमोद तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

---अनावेदक/अपीलान्ट--

आवेदन वास्ते नजरसानी बाबत निर्णय व डिक्री दिनांक 21-8-2009 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा-एडवोकेट- आवेदक

2-श्री सोहनलाल एडवोकेट- अपीलान्ट/अनावेदक

निर्णय दिनांक- 5.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत में आवदेक/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत हुक्म इस्तनाई दवामी का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 404/15 रकबा 2 बीघा 15 वाके ग्राम नीमोद का आवेदक काबिज खातेदार काश्तकार है । जिसने यह आराजी खातेदार डेडाराम

पुत्र रूघाराम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर कर कब्जा प्राप्त किया है। जिसके बाद इस आराजी का खाता आवेदक के नाम दर्ज चला आ रहा है ।इस आराजी से अनावेदक -गण का कोई कब्जा काश्त एवं किसी प्रकार का सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।किन्तु अनावेदक वादी की आराजी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं । जिसके कारण यह दावा पेश किया। जिसे अदालत मातहत बाद सुनवाई डिक्री कर अनावेदकगण को पाबन्द किया।ffffg इसके बाद इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक/अपीलान्ट ने अदालत हाजा में अपील संख्या-101/2006 उनवानी रणजीतमल पुत्र बंशी आदि पेश की जिसे अदालत मातहत ने स्वीकार कर लिये जाने पर यह प्रार्थना पत्र आवेदक/रेस्पो० सं०-1 ने निम्न आधारो पर पेश किया है ।

माननीय न्यायालय का आदेश रिकार्ड व पक्षकारान की प्लीडिंग के विपरित है । अनावेदक सं०-1 से 5 ने एवं अनावेदक सं०-6 व 7 ने न तो अपने जबाब दावे में ख०नं० 404/15 व 404/19 के नवीन खसरा नम्बरों के बारे में उल्लेख किया था और न ही अपनी अपील में उल्लेख किया था। इसी भाती आवेदक ने भी अपने दावे में नवीन खसरा नम्बरान के बारे में उल्लेख किया था और प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावे में नये खसरा नम्बर का उल्लेख किया था और न ही यह तथ्य अपील की बहस के दौरान माननीय न्यायालय के समक्ष आया था। इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा नवीन खसरा नम्बरान बाबत अनावश्यक व रेकार्ड व कानून के विरूद्ध आदेश पारित किया है । माननीय न्यायालय ने निर्णय में बहस के दौरान फर्द के दस्तावेजात पेश करने का उल्लेख आया है। अनावेदकगण ने न तो आवेदन आदेश -41 नियम-27 सीपीसी के तहत उक्त दस्तावेज पेश और न ही आवेदक को कोई प्रति दी गई थी न इन दस्तावेजों के बारे में सुना गया था। तहसील नीमकाथाना में अभी सैटलमेन्ट खत्म नहीं हुआ है और न प्रस्तावित नये खसरा नम्बरान के पर्चे अन्तिम रूप से बनकर जमाबन्दी तैयार होकर प्रभाव में आई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अदालत हाजा का निर्णय एवं डिक्री रिव्यू किया जावे ।आराजी ख०नं० 404 में आवेदक की भूमि ख०नं० 404/15 व अनावेदक की भूमि ख०नं० 404/19 सम्पूर्ण खसरा नम्बर 404 के दक्षिणी पश्चिमी कौणे की है जो नक्शा ट्रेस में किए गऐ मौके अनुसार संशोधित नक्शे में स्पष्ट है। जबकि ख०नं० 404/15 के तथाकथित

नवीन ख0नं0 93 व 97 अन्य जगह दिखाये गये है। जहां से आवेदक का कोई वास्ता नहीं है। आवेदक ने विवादित आराजी ख0नं0 404/15 में छप्पर का घर बना रखा है। तथा इसी भांति गत ख0नं0 404/19 से बने तथा कथित नवीन ख0नं0 189, 190, व 191 अन्य जगह दिखाये गये है ।जो अनावेदकगण के कब्जे व खातेदारी की भूमि ख0नं0 404/19 से दूर है जहां पर अनावेदकगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है । अनावेदकगण की भूमि ख0नं0 404/19 में उनकी दो हवेलीयां व एक नोहरा बना हुआ है तथा ख0नं0 404/19 के तथाकथित नवीन ख0नं0 189, 190, 191 पर न तो अनावेदकगण का कब्जा है और न ही मकान बने हुये हैं ।ख0नं0 404 के बने ख0नं0 404/15 व 404/19 व नये खसरा नम्बर नक्शों के देखने मात्र से स्पष्ट है ।अतः प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार कर माननीय न्यायालय का आदेश एवं डिक्री का निरस्त किया जावे ।ख0नं0 404/15 व 404/19 आपस में सटी हुई आराजी है । तथा अपील में वर्णित नये खसरा नं0 93, 97 व 189, 190, 191 आपस में सटे हुये नहीं है बल्कि दूर दूर है जो दोनों पक्षकारान के कथनों के विपरित है। जिसको सैटलमेन्ट खत्म होने से पूर्व दूरूस्त कराने का हक आवेदक को है ।माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री में उल्लेखित नये ख0नं0 93, 97 व 189, 190, 191 पुराने ख0नं0 404/15 व 404/19 के स्थान पर नहीं है। इससे नये नम्बरों का अपील में उल्लेख रहने से पक्षकारों के मध्य बिना वजह मुकदमें बाजी बढने की पुरी सम्भावना है। अतः आवेदक का आवेदन स्वीकार कर अपील संख्या-101/2006 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21-8-2009 में गत खसरा नं0 404/15 तन नीमोद के नये खसरा नम्बर 93, 97 व गत ख0नं0 404/19 के नये ख0नं0 189, 190, 191 का उल्लेख करते हुये निर्णय एवं डिक्री में दखलअन्दाजी करने बाबत जो आज्ञा दी है को हजफ फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत हाजा की अपील तलब कर शामिल प्रार्थना पत्र की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि गत ख0नं0 404 एक बडा नम्बर था जो कुल 19 व्यक्तियों को आवंटित हुआ । जिसमें ख0नं0 404/15 व 404/19 की ही तरमीम की गई है। जिसमें

ख0नं0 404/15 हमारे कब्जा काश्त की आराजी है । इस आराजी पर हमारा ही कब्जा है । अनावेदकगण का इस आराजी पर न तो कोई कब्जा है और न ही इस आराजी से इनका किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है । अनावेदकगण की आराजी ख0नं0 404 के दक्षिणी पश्चिमी कौणे की है । ख0नं0 404/15 के तथा--कथित नवीन ख0नं0 93 व 97 गलत रूप से अन्य जगह दिखाये गये हैं जहां पर आवेदक का कोई वास्ता नहीं है। आवेदक ने ख0नं0 404/15 में छप्पर का घर बना रखा है । तथा इसी अनुसार ख0नं0 404/19 जिसके तथाकथित नवीन ख0नं0 189, 190, 191 अन्य जगह दिखाये गये हैं । जो अनावेदकगण के कब्जा काश्त की आराजी ख0नं0 404/19 से दूर है जहां पर अनावेदकगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है । गत ख0नं0 404/19 पर अनावेदकगण की दो हवेलिया बनी हुई है । एक नोहरा बना हुआ है ।नवीन ख0नं0 189, 190, 191 से अनावेदकगणा का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है । जो गत ख0नं0 404 के बने ख0नं0 404/15 व 404/19 व नये नक्शो के देखने मात्र से ही स्पष्ट है ।माननीय न्यायालय ने आवेदक को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में भी कानूनी भूल की है । अनावेदकगण का कोई काउण्टर क्लेम नहीं है। आवेदक ने ख0नं0 404/15 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा खातेदार डेडाराम पुत्र रूघाराम से जरिये रजि--स्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की थी ।क्रय के बाद ही इस आराजी पर आवेदक काबिज काश्त होकर काबिज चला आ रहा है ।जिसे माननीय न्यायालय ने कानून के विपरित अनावेदकगण का कोई काउण्टर क्लेम नहीं होने के बाद भी पाबन्द करने में कानूनी भूल की है ।अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय का आदेश एवं डिक्री को निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील अनावेदकगण ने बहस में कथन किया कि आवेदक का यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पोषणीय ही नहीं है । माननीय न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं है तथा न ही किसी प्रकार का कोई तथ्य निर्णय में रहा है । रिव्य प्रार्थना पत्र जब लिया जाता है जब किसी प्रकार के तथ्य को जो महत्वपूर्ण है और वह निर्णय के समय छूट गया हो तो रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवेदक ने ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया जो निर्णय से रह गया हो । इस प्रकार आवेदक का प्रार्थना पत्र चलने

योग्य ही नहीं था ।प्रथम दृष्टया ही खारिज किया जाना चाहिये । ख0नं0 404/19 के नवीन खसरा नम्बर 189, 190, 191 बने है जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है । खसरा नं0 404/15 के नवीन ख0नं0 93 व 97 बने हैं ।यह तथ्य तो रेकार्ड से साबित है । मौका रिपोर्ट में ख0नं0 404/19 के नवीन ख0नं0 189, 190 व 191 में मेरा कब्जा काश्त बताया है मेरी पुख्ता हवेलिया बताई गई है । मुझे मेरे पुख्ता मकानो से बेदखल थोडे ही किया जावेगा । माननीय न्यायालय का आदेश उचित एवं विधिक है । प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । मौका कब्जा काश्त रिपोर्ट दिनांक 25-6-2010 में ख0नं0 404/19 के नये खसरा नं0 189, 190, 191 कुल किता-3 रकबा 0.76 हैक्टर बने हैं जिस पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का दर्ज है तथा खातेदारी भी इनके नाम दर्ज है। तथा गत ख0नं0 404/15 के नये ख0नं0 93 व 97 बने हैं जिस पर कब्जा प्रार्थी का बताया गया है । दौराने बहस पर्चा खतौनी पेश की है । जिसमें गत ख0नं0 404/19 व 404/15 के नये खसरा नम्बरों का उल्लेख है ।अदालत हाजा ने पर्चा खतौनी में दर्ज नये नम्बरों के आधार पर निर्णय पारित किया है ।अप्रार्थी का एक ही आरोप है कि नये नम्बरों को अपील में दर्ज नहीं किया अदालत हाजा का आदेश प्लीडिंग से बाहर है ।किन्तु दौराने बहस प्रस्तुत पर्चा खतौनी में नये नम्बरों का उल्लेख है। निर्णय उचित एवं विधिक होने के लिये दौराने बहस प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के आधार पर निर्णय दिया जाता है तो उसे प्लीडिंग से बाहर नहीं कहा जा सकता ।अदालत हाजा के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जाता है तथा अदालत हाजा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21-8-2009 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.12.2017 को पेश किया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी